

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/श्रावण 3, 1901
No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SRAVANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का० नि० 458 (घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम
8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत
सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को, जो इससे उपाबद्ध सारणी
के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट
रीति से संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	68/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 4 की प्रविष्टि में “2750.00 रु० प्रति टन” श्रंकों और शब्दों के स्थान पर “3000.00” रु० प्रति मीटरी टन” श्रंक और शब्द रखे जाएंगे।
2.	69/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, “2750.00 रु० प्रति मीटरी टन” श्रंकों और शब्दों के स्थान पर “3000.00 रु० प्रति मीटरी टन” श्रंक और शब्द रखे जाएंगे।

[अधि सं० 236/79-के०उ०शु०/फा० सं० 61-26-79-सी एक्स-2]
टी०बी० साईराम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1979

CENTRAL EXCISE

G.S.R. 458 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	68/76—Central Excise dated the 16th March 1976.	In the Table annexed to the said notification, in the entry in column 4 against serial No. 1, for the letters, figures and words “Rs. 2750.00 per metric tonne” the letters figures and words Rs. 3000.00 per metric tonne” shall be substituted.

1	2	3
2. 69/76—Central Excises, dated the 16th March 1976	In the said notification, in the proviso, for the letters, figures and words "Rs. 2750.00 per metric tonne", the letters, figures and words "Rs. 3000.00 per metric tonne" shall be substituted.	

[Notification No. 236/79-CE./F. No. 61/26/79—CX.2]

T. V. SAIRAM, Under Secy.